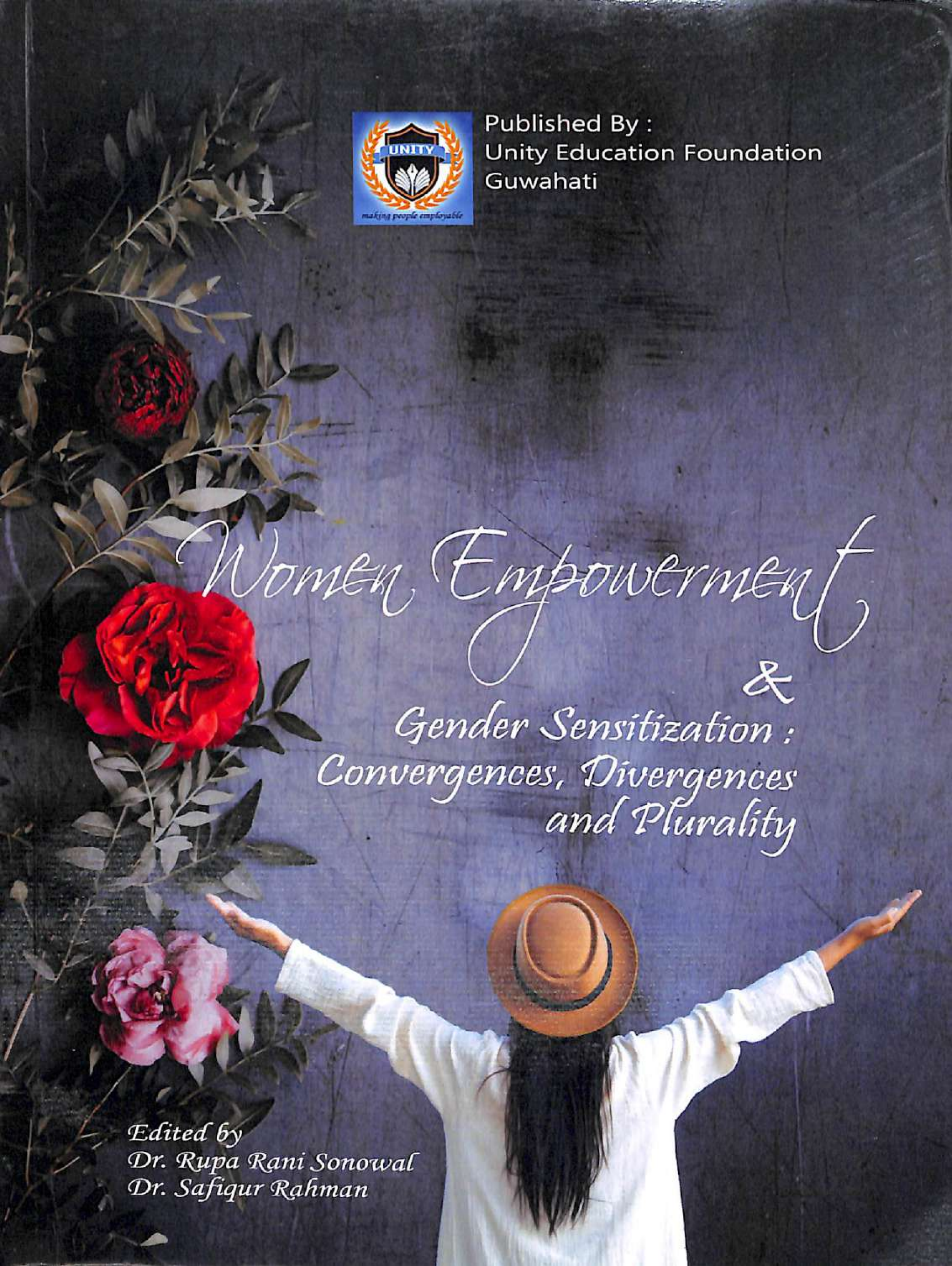

Published By :
Unity Education Foundation
Guwahati

Women Empowerment & Gender Sensitization : Convergences, Divergences and Plurality

Edited by
Dr. Rupa Rani Sonowal
Dr. Safiqur Rahman

Women Empowerment and Gender Sensitization : Convergence, Divergence and Plurality

Volume-I :: Issue-II

making people employable

Unity Education Foundation
Guwahati

Edited By :

Dr. Rupa Rani Sonowal
Dr. Safiqur Rahman

Women Empowerment and Gender Sensitization : Convergence, Divergence and Plurality : *Research Papers related to women empowerment and gender sensitization. Published by Kaziranga Printing House, Guwahati on behalf of Unity Education Foundation, Guwahati. Contact No. 8471960948, e-mail : researchunity@gmail.com*

Editorial Board

Chairman : Adv. A. S. Tapader, *Unity Education Foundation*

Editor : Dr. Rupa Rani Sonowal, *Royal Global University*
Dr. Safiqur Rahman, *Guwahati College*

Members and Papers Reviewers :
Dr. Mujibul Hasan Siddiqui, *Aligarh Muslim University, Aligarh*
Dr. Aparajita Baruah, *Gauhati University*
Dr. Nurjahan Rahmatullah, *Cotton University*
Dr. Machunwangliu Kamei, *Usha Pravin Gandhi College of Arts Science and Commerce, Mumbai*
Dr. Anjali Karmakar, *Asom Sikshak Prasikhan Mahabidyalaya*
Dr. Likhaneswar Ghatower, *Guwahati College*
Dr. Golok Ch. Deka, *Guwahati College*
Dr. Utpal Deka, *KKHSOU*

Published By : Kaziranga Printing House, Guwahati
on behalf of Unity Education Foundation, Guwahati
© Unity Education Foundation, Guwahati

First Published : August 2019
ISBN : 978-81-935219-6-0
Price : INR 1500/-
Printed at : Kaziranga Printing House, Guwahati-21

Disclaimer : Opinions expressed in this book do not reflect the policies or views of this organisation, but of the individual contributors. The authors are solely responsible for the details and statements in thier Research Papers.

On Gender : Some Reflections

The term gender refers to socially constructed attributes, roles, behaviors and activities that a given society considers appropriate for men and women and gender roles are the activities ascribed to men and women on the basis of perceived societal differences.

Judith Lorber (1994:6) further summarizes on gender. She says, "*Gender is a human invention, like language, kinship, religion and technology: like them gender organizes human and social life in culturally patterned ways. Gender organizes social relations in everyday life as well as in the major social structures such as social class and the hierarchies of bureaucratic organizations.*"

True, almost everything in our social lives is gendered. Gender is an integral part of the daily experience of both women and men (Kimmel and Messner, 2004) and gender is embedded in the images, ideas and language of a society and is used as means to divide up work, allocate resources and distribute power.

Gender- based stratification remains rooted in the larger social structures of society and there is little control over this despite the fact that we are living in a world scenario which is marked by advancement in all spheres.

Gender appropriate behavior is learnt through the socialization process and parents, teachers friends and the media serve as gendered institutions that communicates the beliefs about the social meaning of being either a male or a female. This social construction of gender is evident in the way we treat our children, and our students and how the mass media portray ideal body images. Hence the social forces that push people to assume conventional masculinity or feminine roles are both compelling and challenging.

It is because of the perceptions of the society and the community that we as women still lack the many opportunities that are available around us. In terms of health, we are open to more risks than men and we are more vulnerable to ill health than our male counterparts perhaps because our men are fortunate in having more time and space for themselves. Whereas as women we are expected to have more time for our families, for the household chores and less for ourselves. This indeed is the "Strength of a Woman"

As Khasis women we are indeed better off. There is no harsh distinction between being a man or a woman, though the distinction is certainly there and most often it is very subtle in nature. We are respected and of course in a majority of situations, we are the custodians.

Utpal Kumar De and Bhola Nath Ghosh in his Status *of Women in the Rural Khasi Society of Meghalaya* (February 2007) has this to say about us, "*The Khasi society of Meghalaya is such a society, commonly known as matrilineal where the authority, title,*

inheritance, residence after marriage and succession are traced through the female line. They are presumed to have free access to education, ownership of property, authority in their family and society; they are supposed to be the heads of their families and have the power to take decision what to be done or not ".

This observation has to be taken though with a pinch of salt. To say that we have the authority both in the family and the society is I think far from the truth. The decisions of the men are still respected in the community. In many situations and in many families, (of course there are exceptions), the decision particularly of the maternal uncle and the father (if he is one who is responsible) is still sought for in matters that concerns the family.

Secondly, men head the locality administration, Women have little influence on community decisions. We are yet to find women as heads of a locality. They can only act as a moral force behind men and suggest their opinions on various issues. We have the headman and the*Rangbah shnong* and the *Rangbah dong* but a *Kynthei shnong* and a *Kynthei dong* is still unheard of. Perhaps, it will still take some time for the community to agree to such a designation for women in the community portfolio.

Thirdly, participation of women in the local durbar is minimal, in fact it is almost negligible. There have been attempts by different groups to empower women by asking for women's active participation in the local *Durbar*. Yet, this still continues to be debatable in the Khasi community. It will take some time and require more efforts from the women social groups for this to be happening.

Fourthly, speaking from the Christian perspective there is still some kind of an *uncomfortableness* perceived when women try and project their leadership and decision making in the domain of the Church. Some denominations still abide by the traditional view of the submissive role of women. Where a woman's role in relation to the home, the Church and the society is to be in submission to male leadership and to be dependent upon him. She has her own sphere and freedom to exercise her spiritual gifts but it is ultimately under the leadership of the male, who takes the lead in the home and in the Church that her gifts are exercised.

Today, there are certain denominations where women are encouraged to be leaders, to deliver sermons and exhort. However, when it comes to performing rituals and ceremonies for example, solemnizing a wedding, sharing of the Lord's supper or in performing a baptism, it will always be a male priest or male deacon who will complete the formalities.

So, in conclusion, it can be safely being stated that though adjustments can be seen presently in the position and role of women in the society, there are still many areas of social life where gender differences and inequalities remain. So really *All is still not Well* with us women in the community. We will still have to be content with the many compromises. It will still take time before we are liberated and emancipated in the true sense of the term.

Prof T.K Kharbamon
The English and Foreign Languages University
Shillong Campus

Editorial :

"A feminist is anyone who recognizes the equality and full humanity of women and men." ?

–Gloria Steinem

Being Born Female, make like difficult to survive in most of the countries and in third world countries, billions of women do not receive reasonable income, food, education, no ownership and no security. Women empowerment and gender sensitization have always been the topic of discussions in many events, meetings and conferences around the globe. With the support of numerous organizations and institutions, a forward-looking policy of promoting women such as CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979, the World Conference on Women in Beijing (1995) and gender equality in the Millennium Development Goals (MDGs) and many more are helping to reduce violence and poverty against women. Nevertheless, change had come, but rather in a slow pace.

In India too, efforts are made to empower women by providing equal participations in political and economic growth of the country. As such, Gender responsive budgeting (GRB), adopted by India in 2005, and allocates money to make policies and program's gender-equitable. Challenging discriminatory gender norms is the need of the hour of removing the barrier in thoughts practices and planning. Equality between men and women is as important as empowering low-income groups or fighting against domestic violence. Such is the debates that often hold in different conferences, seminars and talks. Yet, there always remain the unreturned questions, where more deliberate discussions and solutions to dilemma is fundamental.

Unity Education Foundation, Guwahati had taken the initiative to publish two volume of books on the never ending discussion on women and gender equality. These two books has research studies, articles and reviews which was presented in the National Seminar, 'Women Empowerment and Gender Sensitization: Convergence, Divergence and Plurality' on 6th -7th April 2019 in LCB College, Guwahati.

Dr. Rupa Rani Sonowal
Dr. Safiqur Rahman

Contents

❖ A Global Perspective on Feminist Ethics : Convergence, Divergence and Plurality
Swati Sengupta 1

❖ A Study About Women Empowerment in India With Specific Reference to Development of Women Entrepreneurship in Assam
Subal Chakravarty 5

❖ Domestic Violence Against Women and Legal Provisions
Jyotirmayee Devi 11

❖ Towards Women Empowerment : Understanding The Role of Women's Groups in North East India with Special Reference to North East Network (NEN)
Ankur Jyoti Barman 16

❖ Impact of Alternative Media in Accelerating Women Empowerment
Sajan Difusa 23

❖ Women Empowerment Through Their Awareness Towards Health Insurance
Sabita Bhagabati 28

❖ Capacity Building Initiatives Through Governmental Schemes for Women in Assam
Nirmali Borah 37

❖ Women Empowerment Through Education
Gitika Talukdar 46

❖ Women's Work Force Participation and Economic Empowerment : A Case Study of Salpara Village in North Garo Hills District of Meghalaya
Junty Marak 50

❖ Women's Psychological Health : In context with Reference to the Workplace Environment
Mridusmita Bagchi/ Suchismita Bagchi 55

❖ Woman Empowerment & Comparision of Rural Area Woman of Morigaon District with Special Reference to "Rupaibori Village" : A Case Study
Namisha Saikia 58

❖ Women Empowerment & Status of Karbi Women of "Chaligaon Village" of "Morigaon District" : A Critical Analysis
Namita Saikia 66

❖ Gender Inequality in School Education
Dhanistha Medhi 73

❖ Role of Education in the Empowerment of Women in India and Its Various Perspectives
Bikash Kumar Bora 79

❖ Women Empowerment and the Issues of Women Prisoners
Nazneen Sultana 84

❖ Nirupama Borgohain's Abhiyatri : A Literary Harbinger of Women Empowerment in Assam
Harit Sambhabana Khandayatray 95

❖ Economic Empowerment of Women Through Entrepreneurship in Nagaland
Yongkongnukla Ozukum 101

❖ Bride Price and the Inequality Faced by Women in the Mara Tribe
Lalmalsawmi Hlondo 107

❖ A Study on "The Role of Self Help Groups for Empowerment of Rural Women with Special Reference to Rani Block of Kamrup District"
Pompi Haloi 112

❖ Reservation for Women Under Indian Constitution : A Step Towards Women Empowerment
Smita Begum 121

❖ Education of Gender Equality in Buddhist Philosophy
Sabana Yesmin 126

❖ Gandhian View on Women Empowerment
Sangeeta Das 130

❖ The Role of Education as a 'Catalyst' in Gender Sensitization
Smitarini Chamuah 134

❖ Women and the Green Economy
Urmila Bharali 139

❖ Women Empowerment Through Education
Juri Hazarika 148

❖ Women Empowerment Through Education
Dwimu Rani Boro/ Dr. Tarali Boro 157

❖ A Study on The Impact of Rural Livelihood Pattern of Women in Their Self-Sufficiency and Economic Empowerment : A Case Study on Major Deka Chuburi Village of Tezpur Town, Assam
Niha Dutta 162

❖ Entrepreneurial Activity of Housewives in Women Empowerment : A Case study from Japisajia, Sonitpur
Dr. Chayanika Bhuyan 170

❖ শিক্ষাৰ জৰিয়তে মহিলা সৱলীকৰণ
মাধুৰ্য্যময়ী চক্ৰবৰ্ত্তী 177

❖ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ 'আকুল পথিক' গল্পত নাৰীৰ প্ৰতি সমাজৰ দৃষ্টিভংগীৰ অধ্যয়ন
বিৰজা ৰাভা 180

❖ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ 'অন্তৰীপ' উপন্যাসত নাৰীভাৱনা ঃ এক বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন
জোনালী কলিতা 185

❖ লোক সংস্কৃতিৰ এক বিশেষ উপাদান উৎসৱ, পূজা পাৰ্বণৰ জৰিয়তে সমাজ সংগঠনত নাৰীশক্তিৰ ভূমিকা ঃ এক বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন
নয়নমণি দেৱী /
প্ৰণৱ জ্যোতি শৰ্মা 195

❖ শিক্ষাৰ জৰিয়তে মহিলা সৱলীকৰণ *তুলিকা শৰ্মা* 201

❖ আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যত দ্ৰৌপদী বিষয়ক সংগ্ৰহণ
চিমা দেৱী 207

❖ নাৰীৰ সবলীকৰণত শিক্ষাৰ ভূমিকা *প্ৰণতি বৰুৱা* 213

❖ মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে শিক্ষা *ড° মৃগেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা* 219

❖ বৈদিক যুগৰ স্ত্ৰী শিক্ষা আৰু সামাজিক স্থিতি ঃ এক বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন
ৰশ্মি ডেকা 226

❖ অসমীয়া ভাষাত লিঙ্গবাদ ঃ নাৰী সবলীকৰণত ইয়াৰ ভূমিকা
নিপম কলিতা /
ড° পংকজ নমঃশূদ্ৰ 230

❖ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্থান *গায়ত্ৰী দাস* 242

❖ नारी सशक्तिकरण : दशा एवं दिशा *मीरा दास* 244

नारी सशक्तिकरण : दशा एवं दिशा

मीरा दास

"यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते"

अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते है। यह सूक्ति भारतवर्ष में स्वत: चरितार्थ होती है। नारी शक्ति का रुप होती है। यदि नारी अपनी शक्ति का प्रयोग कल्याण मार्ग करती है तब वह पुज्यनीय व वन्दनीय हो जाती है, तथा जब वह इस शक्ति का प्रयोग अमंगल व अशोभनीय कार्यो में लगाती है तब वह विनाश का रुप ग्रहण कर लेती है जो परिवार, समाज, राष्ट्र, संसार सबके लिए अहितकर हो जाता है।

पिछली कई सहस्राद्वियों की स्थिति में कई परिवतर्न होते रहे है। हमारे देश में नारियां अब शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला व संस्कृति सेवा क्षेत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों की गतिविधियों में हिस्सा ले रही है। भारतीय संविधान में आजादी, भाईचारे, समानता और न्याय के मजबूत आधार पर खड़ा है। उसमें नारी सशक्तिकरण के कई प्रावधान है साथ ही उसमें साफ तौर पर लिखा है कि नारियों के लिए जो भी सकारात्मक कार्यक्रम है वे किसी भी तरह लिंग आधारित भेदभाव न बरते जाने के शिद्धान्त की अवहेलना नहीं करते। आज सम्पूर्ण विश्व में नारीवाद या नारी सशक्तिकरण का शोर है। आज महिलाओं को हर तरह से संपन्न बनाना, उन्हे सत्ताधिकार देने का काम ही नारी सशक्तिकरण है जिसका व्यापक अभिप्राय सभी संसाधनों पर नारियों के नियन्त्रण से है। अचल में परंपरा से पुरुषप्रधान रहे समाज में नारियों के लिए वास्तविक अर्थो में समानता हासिल करना एक क्रमिक और धीमी प्रकिया है। यह समानता हासिल करने में नारियों की अपनी मानसिकता भी कम बाधक नहीं है। इकीकत यह है कि आज भी हमारे समाज में नारियों का एक बड़ा हिस्सा स्वयं को पुरुषो की तुलना में कमजोर और हीन मानता है। नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इस मानसिकता का बदलना बेहद जरुरी है।

इस संगोष्ठी पत्र में नारी सशक्तिकरण के इस तरह के पहलुओं पर विचार किया गया है।

भूमिका :

भारतीय समाज में आधुनिक नारी की स्थिति, सशक्तिकरण तथा उससे जुड़े हुए प्रश्नों की चर्चा करने से पूर्व इतिहास के पृष्ठों पर स्त्रियों का कैसा चित्र अंकित है यह समझना आवश्यक है। प्राचीन भारतीय समाज में स्त्री का दर्जा बहुत ऊचा था। स्त्री को पुरुष की 'अद्धांगिनी' के रुप में स्थान दिया गया है जिसके विना किसी कर्तव्य की पूर्तिं नहीं की जा सकते लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि बैदिक और उत्तर वैदिक

Assistant Professor, Department ot Hindi, Lakhimpur Girls' College, North Lakhimpur

काल के पश्चात् हमारे समाज की मौलिक व्यवस्थाए रुढ़ियों के रुप में परिवर्तित होने लगी और फलस्वरुप स्त्रीयों में लज्जा, ममता ओर स्नेह के गुणों को उनकी दुबलता समझकर पुरुषों ने उनका शोषण करना आरम्भ कर दिया तथा धीरे धीरे निस्सहाय और निर्बल वन गयी साथ ही स्त्री के पारिवारिक अधिकार तक छीन लिए गए। इन परिस्थियों का परिणाम यह हुआ, कि मध्यकाल में हिन्दु समाज में स्त्रियों की स्थिति एक दासी से अच्छी नहीं रह गयी। लेकिन समय तथा समाज परिवर्तनशील होने के साथ ही एक बड़े भाग में स्त्रोयों की स्तिति में सुधार करने के व्यापक प्रयत्न किये है। इसके फलस्वरुप भारतीय समाज में आज स्त्रियों को पुन: सामाजिक अधिकार प्रप्त हो रहे है। अनेक क्षेत्रो में स्त्रियो ने पुरुषों पर अपनी क्षेष्ठता स्थापित कर यह सिद्ध कर दिया है कि जन्मजात दृष्टि से उनमें कोई भी क्षमता पुरुषों से कम नहीं है।

नारी सशक्तिकरण की चर्चा करते समय यह न भूलना चाहिए कि स्त्री की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन 19 वी सदी के बाद प्रारम्भ हुआ। बाह्य दृष्टि से इस परिवर्तन के लिए अंग्रेजी राज्य को उत्तरदायी माना जा सकता है।

प्रस्तुत संगोष्ठी पुत्र में नारी सशक्तिकरण के दिशा में उन्नीसवी सदी के पूर्व तथा वाद में समाज में कौन सी संस्थाएँ थी, जतिलताएँ थी तथा दवाव के साथ नियन्त्रण थे इन सब पर अन्वेषण किया गया है। साथ आने वाले दिनों में कैसे और काम किया जा सकता है, उसका आलोचना करेंगे तथा सत्राधिकारहीनता के कारणों और उन्हे दूर करने के लिए आवश्यक रणतियों पर प्रकाश डालें गे।

पद्धति:

प्रस्तुत संगोष्ठी पत्रों को तैयार करते समय आलोचनात्मक तथा विवरणात्मक पद्धति का सहारा लिया गया है।

सामग्री:

पत्रों को तैयारी करते समय निजी पुस्तकालय, कॉलेज पुस्तकालय साथ ही Online अखवार तथा लेख के साथ सर्वशिक्षा अभियान से कुछ सहायक सामग्री का सहारा लिया गया है।

मुल पाठ का आलोचना:

1.1 सशक्तिकरण- अर्थ और परिभाषा:

"सशक्तिकरण" का शद्बिक अर्थ शक्ति या सत्ताधिकार संपन्न बनाना है। अर्थात सशक्तिकरण के सीधा सा मतलब किसी को सत्ताधिकार संपन्न बनाने का काम है। इसी प्रकार नारियों को अधिकार संपन्न बनाना, उन्हें सत्ताधिकार देने का काम ही नारी सशक्तिकरण है जिसका व्यापक अभिप्राय सभी संसाधनों पर नारी के नियंत्रण से है। सशक्तिकरण की अवधारण अपेक्षतया नई है और इसकी व्याख्या पूरी तरह से नहीं हो पाई है। सशक्तिकरण के उद्देश्य से कोई भी कार्यक्रम बनाने से पहले सत्ताधिकार की कमी के कारणों को समझने होंगे, तभी समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक विकाश, रणनीतियाँ बना सकेंगे।

1.2 नारी सत्ताधिकारहीनता के कारण:

सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो मुख्य प्रश्न सामने आते है वह है नारियों के पराधीनता या उत्पीडन के आखिर क्या कारण है?

पहला नजरिया पितृसत्ता को नारी सत्ताधिकारहीनता का मुख्य कारण माना जाता है। जहाँ एक अति

क्रियाशील सामाजिक लिंग सोच व्यवस्था है जो नारियों की भूमिका और संबधो को नय करनी है। इसमें स्त्रियों को उनकी पारंपरिक भूमिकाओं में ही देखा जाता है जो पुरषों के नियंत्रण में, तथा उनके अधीन रहती है।

दूसरा नजरिया नारी सत्ताधिकारही के ओर मुख्य क्षेत्र तथा सबसे आम क्षेत्र घर-परिवार ही है। यह नजरिया नारियों की जननात्मक या उत्पादक भूमिकाओं को ही केद्र मानते चलना है यानी स्त्रियां संतान की जनक और ग्रहणियों के रुप में निभाती हैं। हमारे समाज में यह उम्मीद की जाती है कि कच्ची उम्र में ही लड़कियाँ घर के सभी तरह के काम-काज जैसे- खाना पकाना, वर्तन माँजना, घर की साफ-साफाइ के साथ साथ अपने भाई-बहनों की देखभाल आदि संभाल ले ऐसी स्थिति में अपनी सभी जरुरतो के लिए पूरी तरह से पुरषों पर निर्भर रहना है।

अन्तिम नजरिया नारियों के बहुविध क्षेत्रों में पराधीनता या सत्ताधिकारहीनता के अनुभव से गुजरना पड़ता है। घर, कार्यस्थल और अन्य स्थानों में स्त्री से ये आशा की जाती है कि वह परिश्रम करके आदर्श की कसौटि पर खरी उतरे, और बदले में कुछ भी नहीं मांगे। इस तरह बचपन से ही स्त्री और पुरूष के बीच भेद कर दिया जाता है तथा समाजीकरण कुछ इस तरह से किया जाता है कि वह विनम्र, आज्ञाकारी और शांत, सहनशील बने।

ये संभी नजरिए भिन्न होते है, फिर भी यह मानकर चलते हैं कि स्त्रियों को सिर्फ घर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीति तथा संस्थाओं में शक्तिहीनता या लाचारी का अनुभव कराया जाता है।

1.3 नारीयों के सशक्तिकरण:

नारियों के सशक्तिकरण के दिशा में सबसे बड़ी चुनौती है कि नारियों की पराधीनता या, उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार कारणों को दूर कैसे किया जाए।

सशक्तिकरण के दो तरह का होता है:

1) आर्थिक सशक्तिकरण

2) पूर्ण सशक्तिकरण

आर्थिक सशक्तिकरम के अन्तगंत सरकार और विभिन्न एजेन्सियों के द्वारा किया गया प्रयास को लिया जा सकता है। इन प्रयासो के द्वारा नारियों को सबल और अधिकार संपन्न बनाया जा सकता है। लेकिन जरुरी नहीं की आर्थिक सशक्तिकरण से पूर्ण सशक्तिकरण हो जाये। इसके मूल में ऐतिहासिक कारक है। जैसे- स्त्रोियो की निम्न स्थिति-प्रतिष्ठा, पुरुष प्रधान समाज आदि।

सशक्तिकरण की दिशा में संगठन बनाने के लिए पहला कदम है नारी समूहों का मिल-जुलकर अपनी समस्या का विश्लषण और फिर उनके समाधान के लिए सामूहिक कारवाई कर साथ ही आत्मविश्वास और आत्मबल से महिला सशक्त हो सकती है।

2. प्राचीन एवं वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति:

नारी के सत्ताधिकारहीनता के कारण अथवा समस्याओं के समाधान के लिए इतिहास की गहराइयों का अत्वेषण या विचार करना आवश्यक है। इसके लिए हम विभिन्न कालों में स्त्रियों की स्थिति का सक्षिप्त वर्णन कर सकते है।

2.1 वैदिक कालों में स्त्रियों की स्थिति :

वैदिक कालों में नारी पूज्य मानी जाती थी। यह समाज भारतीय इतिहास का सर्वाधिक आदर्श समाज रहा है, जिसमें नारियों ने सम अधिकारों का पूर्णता के साथ उपयोग किया था। अथर्व वेद में लिखा गया है- ''जायापन्ये मधुमती, वांच वदन शान्तिवम्'' अर्थात् बहु घर में ही गृहस्थी की बागडोर सम्भाल ले, आते ही घर की सम्राज्ञी बन जाये। वेद युग में पत्नी को मित्र का रुप प्राप्त था। वैदिक युग में पदाँ-प्रथा, बाल-बिवाह आदि कुरीतियाँ नहीं थी। इसके अतिरिक्त इस युग नारी धार्मिक क्षेत्र में पुरुष के समान समस्त अधिकारों का उपभोग करती थी। निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि वेद युगीन स्त्रियाँ समस्त अधिकारों की भोक्त थी एवं उनकी स्थिति उच्च तथा आदरणीय थी।

2.2 धर्मशास्त्र काल में स्त्रियों की स्थिति :

तीसरी शताद्दी से लेकर 11 वी. शताद्दी के पूर्वाद्धँ तक के समयसीमा को धर्मशास्त्र काल माना गया है। यह समय धार्मिक संकीर्णता का युग होने के साथ साथ स्त्रियाँ भी इस संकीर्ण विचारधारा का शिकार बनी। स्त्री जो किसी समय अपने प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा साहित्य और समाज के आंदेशों को प्रभावित करती थी, अब परतन्त्र, पराधीन, निस्सहाय और निर्बल बन चुकी थी। मनु स्मृति में यहाँ तक कह दिया गया कि स्त्री कभी भी स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है। बचपन में पिता के अधिकार में, युवावस्था में पति के वश में तथा वृद्धावस्था में पुत्र के नियन्त्रण में रहे। वास्तविकता यह है कि स्त्रियों की स्थिति के पतन के इस काल को आधारभूत कहा जा सकता है जिसके बाद स्त्रियाँ एक वस्तु बन गयी जिन्हे पुरुष अपनी इच्छानुसार किसी प्रकार उपयोग में ला सकते थे।

2.3 मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति :

सोलहवी शताद्दी से लेकर अठारहवे शताद्दी का समय मध्यकाल में रखा जा सकता है। इस काल में स्त्रियों को स्थिति में जितना पतन हुआ उतना कभी नहीं हुआ। इस युग में इस बात पर जोर दिया है कि पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म पति की सेवा है। मंगोल साम्राज्य की स्थांपना के पश्चात स्त्रियों की स्थिति जितनी तीव्र गति से पतन की ओर अंग्रसर हुई वह हमारे सामाजिक इतिहास में कलंक के रुप में सदैव याद रहेगा। पर्दा प्रथा, पति के मृत्यु के बाद पत्नी का पति के साथ सती हो जाना पतिव्रता धर्म की शर्वोच्च परीक्षा मानी गई थी। इस प्रथा को धार्मिक आबरण प्रदान कर बढ़ावा दिया गया। पहली पत्नी होने के वाद भी विवाह कर लेना, एक से अधिक पत्नियाँ रखना, पुरुषों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा बन गया। लेकिन इस युग में स्त्रियों के सम्पत्ति के अधिकारों में थोड़ा सा सुधार हुआ है।

2.4 ब्रिटिशकाल में स्त्रियों की स्थिति :

ब्रिटिशकाल से हमारा तात्पर्य 18 वी शताद्दी के अन्तिम वर्षो में स्वतन्त्रता पूर्व तक के समय से है। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों द्वारा अनेक सूधार के कार्य किये, लेकिन स्त्रियों के स्थिति में सुधार करने के कोई व्यावहारिक प्रयत्न नहीं किये गये कारण स्त्रियों का शोषण बने रहना अंग्रजों के लिए लाभप्रद था। हरेक क्षेत्रों में जैसे सामाजिक क्षेत्रो में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने स्वतन्त्र रुप से अपने अधिकारों की माँग करने और व्यवहार में नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। पारिवारिक क्षेत्र में स्त्रिओं के समस्त अधिकार समाप्त हो गये थे। आर्थिक क्षेत्रों में स्त्रियों को सम्पत्ति बन चुकी थी, इन

आर्थिक नियोग्यताओं का ही परिणाम था कि स्त्री को बडे अमानवीय व्यवहार के बावजूद पुरुषों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। राजनीतिक क्षेत्रों में भी स्त्रियों द्वारा हिस्सा लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। महात्मा गाँधी के नेतत्व में सन् 1919 के पश्चात् कुछ स्त्रियों ने राजनीति में भाग लेना अवश्य शुरु किया, लेकिन कुलीन परिवार इसका सदैव विरोध करते रहै।

2.5 स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति :

हमारे देश में स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए है। विद्वानों ने पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और जातीय गतिशीलता को इन परिवर्तनों का प्रमुख कारण माना है। इसके अलावा स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार होने तथा औद्योगिकीकरण के फलस्वरुप उन्हें आर्थिक जीवन में प्रवेश करने के अबसर प्राप्त हुए। इस प्रकार अलग अलग कारकों के संयुक्त प्रभाव से स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुए हैं, जैसेः

2.5.1 शिक्षा की प्रगति :

इस समय स्त्री शिक्षा इतनी तेजी से बढ़ी जो पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भारत आजाद होने के समय तक साक्षर स्त्रियों की संख्या 8 करोड़ हो गई थी। आज कला विज्ञान के साथ साथ मेडिकल आदि हर क्षेत्रों में लड़कियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

2.5.2 आर्थिक जीवन में बढ़ती हुई स्वतन्त्रता :

स्वतन्त्रता के पश्चात एक बड़ी संख्या के मध्यम वर्ग की स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त कर आर्थिक क्षेत्रों की ओर बढ़ना आरम्भ कर दिया था। जीविका उपार्जित करने वाली स्त्रियाँ आज अन्य स्त्रियों के लिए आकर्षण हैं और आर्थिक स्वतन्त्रता के कारण परिवार में उनके महत्व वढ़ गये है तथा अन्य महिलाओं को प्रोत्साहन मिला है।

2.5.3 पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि :

परिवारों में स्त्रियों की स्थिति में आज महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। वच्चों की शिक्षा, पारिवारिक आय के उपभोग, संस्कारो का प्रबन्ध और पारिवारिक योजनाओं के रुप का निर्धारण करने में स्त्री की इच्छा का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। कुछ व्यक्ति परिवार में स्त्रियों के बढ़ते हुए अधिकारों से इतने चिन्तित हो उठे हैं कि उन्हे पारिवारिक जीवन के विघटित हो जाने का भय हो गया है। आधुनिक युग में स्त्रियों का परिवार का विघटन कराने में प्रमुख हाथ है। ऐसे परिवार अपने दायित्व व आवश्यक सामाजिक कार्य, महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ आदि की पूर्ति महिला अधिकारों द्वारा पूर्ति करते है, जिससे महिलओं पर रोजगार का दबाव बढ़ता जा रहा है।

2.5.4 राजनीतिक चेतना में वृद्धि :

राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति जिस गति से ऊँची उठ रही वह वास्तव में एक आश्चर्य का विषय है। देश के अनेक राज्य में स्त्रियों का मुख्यमंत्री बनना तथा सन 1980 में श्रीमती इण्डिरा गांझी प्रधानमंत्री निर्वाचित होना बहुत बड़ी बात थी। इस समय स्त्रियों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का पूर्ण सदुपयोग कर मध्यकाल को समाप्त करने तथा स्त्रियों को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रशंसनीय कार्य किये है।

2.6 बीसवीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति :

20 वीं शताद्वी का अधिकाँश समय स्वतन्त्रता की संघर्ष कथा है। जिसमें साहित्य की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण रही। कवियों के काण्ड में भारत की जय ही नहीं गूँजी, नारी की जय भी ध्वनित हुई है। आर्थिक दृष्टि से आज की स्त्री को जो स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है, उसके विस्तार की असंख्य सम्भावनाए हैं। इस युग की अनेक उपलब्धियों में सबसे मूल्यवान उपलब्धि मानव गरिमा की सार्वभौम स्वीकृति है। इस सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र का सन् 1948 का घोषणा पत्र उल्लेखनीय है - ''जिस स्त्री पुरुष वर्ण देश, जाति, धर्म आदि के भेदों को पारकर मानव-मात्र की समानता और उसके जन्मजात अधिकारों को वाणी दी। ये अधिकार, मनुष्य की राजनीतिक स्वतन्त्रता लेकर उसके बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास तक फैले हुए है।''

कहा जा सकता है कि स्त्रियों को प्रदत्त अधिकारों में वेदकालीन समाज व्यवस्था के बाद जहाँ क्रमशः कमी होती चली गई, वहीं स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उनके प्रदत्त अधिकारों में अनवरत वृद्धि होती गई।

3. स्त्रियों के सशक्तिकरण के दिशा में किये गये कार्यनीतियाँ, उपाय और कार्यक्रम :

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारत में स्त्रियों की शिक्षा के विभिन्न पहुलओं में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। इसके अन्तगंत लड़कियों की शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक संवैधानिक और नीतिगत ढांचे का निर्माण किया गया है। सरकार द्वारा किया गया कार्यक्रमों में उल्लेखनीय है -

3.1 सर्व शिक्षा अभियान :

इस सदी के प्रारम्भ में शुरु किया गया सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है। इस अभियान के तहत शिक्षा प्रदान करने में सभी प्रकार के अंतराल और लिंग सबंधी भेदभाव दूर करने पर स्पष्ट रुप से ध्यान केन्द्रित करना है। साथ ही बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इस दिशा में कुछ उपाय नीचे दिए गए है -

1. आठवी कक्षा तक सभी लड़कियों की निःशुल्क पाठय पुस्तके।
2. लड़कियों के लिए अलग शैचालयों का निर्माण।
3. स्कुलों में दाखिला न लेने वाली बालिकाओं को स्कूलों शिक्षा में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के वास्ते स्कूल शिविरों का आयोजन।
4. 50 प्रतिशत नारी शिक्षिकाओं की भर्ती।
5. सीखने के समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक जागरुकता कार्यक्रम।
6. पाठ्य पुस्तकों सहित लिंग की दृष्टि से संवेदनशील अध्ययन-अध्यापन सामग्री। आदि

इस तरह शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी में सुधार लाने, शिक्षा को हर तरह से अनुकूल बनाने, शिक्षा के लिए बालिकाओं और उनके माता-पिता को प्रेरित करने जैसे अनेक उपाय किया गए और कार्यनीतियां विकसित की गयी।

स्त्री शिक्षा की दिशा में सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों का लक्ष्य न केवल असंख ढांचागत खामियों को दूर करना है, बल्कि सदियों पुरानी संस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करना भी है। साथ ही सामुदायिक जरुरतें पैदा करने के उपाय भी किए गए।

1) माता-पिता और समुदाय को प्रेरित एवं एकजुट करना।

2) स्कूल संबंधी गतिविधियों में नारियों और माताओं की भूमिका में वृद्धि करना।

3) स्कूल समितियों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

4) स्कूल के शिक्षाकों और समुदायों के बीच संबंध सुदृढ़ बनाना

इस तरह बालिकाओं के दाखिलों और उन्हें स्कूल में बनाये रखने में योगदान के लिए प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम एक दृष्टि प्रदान करता है। जब बच्चे कक्षा में पिछड़ जाते है तब सहपाठियों तथा शिक्षकों की उपेक्षा का शिकार महसूस करते हैं तब उनके स्कूल छोड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे स्थिति में उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत कक्षा में प्रोत्साहन और लिंग की दृष्टि से संवेदनशील बनाने के उपयों पर बराबर निगरानी रखी जाती है।

3.2 भारत में बालिकाओं की शिक्षाः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद :

स्वतंत्रता से पहले नारी साक्षरता 8.9 प्रतिशन मात्र थी। लेकिन उस समय के नेताओं को शिक्षा के महत्व को भली भांति समझा था, इसके कारण स्त्री शिक्षा को राष्ट्रीय विकास की प्रमुख कार्य-सूची में स्थान दिया था। साथ शिक्षा के मार्ग में आनेवाली सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं और संगठित स्कूली शिक्षा तक पहुंच के अभाव, जैसी समस्याओं का शीघ्र समाधान करना बेहद जरुरी था। शिक्षा प्रबंधको ने बुनियादी सुविधाओं का स्कूलों तक पहुंच की कमी दूर करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की, जिसके कारण आज स्थिति देश की 98 प्रतिशत ग्राणीण आबादी में एक किलोमिटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल उपलब्ध हैं।

आगे जाकर बालिक ओं को स्कूलों में सहायता के तहत स्कूलों में शैचालयों का निर्माण तथा उच्च प्राथमिक स्तरपर अलग विद्यालय स्थापना शामिल है। कुछ विद्यालय आवासीय है। जैसे कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों में समाज की सर्वाधिक उपेक्षित बालिकाओं को उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए दाखिला दिया जाता है।

इन प्रयासों के कारण स्कूलों तक पहूंच में वृद्धि के साथ-साथ 1990 के बाद में बालिकाओं के दाखिलों में निरंतर बढोतरी हो रही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियो की बालिकाओं को स्कूलों में दाखिले के लिए प्रेरित करना भारत के शिक्षा प्रशासकों के समक्ष गंभीर चुनौती है। सरकारी प्रयासों के अन्तर्गत शिक्षा नीति निर्माता देश के उन जगहों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं ताकि विशेष संदर्भो में इस अंतराल को दूर किया जा सके।

3.3 संवैधानिक और नीतिगत ढांचा :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) में स्त्रियों की शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में बुनियादी नीतिगत ढांचे की व्यवस्था है। सन् 1976 में 42 वें संविधान संशोधन द्वारा स्त्रियों के शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार अधिक सक्रिय भूमिका लेने लगे थे। इस कार्यक्रम के तहत बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने में विशेष योगदान रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने के उपाय किए गए। जो लड़कियों और नारियों की शिक्षा के बारे में समग्र लक्ष्य निर्धारित करती है। इसका लक्ष्य समाज में नारियों की स्थिति में बनियादी परिवर्तन के एजेंट के रुप में शिक्षा का इस्तेमाल करना है।

2002 में 86 वे संविधान अधिनियम के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों का मैलिक अधिकार बानाया गया। जिनमें स्त्रियों की शिक्षा के लिए विशेष लक्ष्य तय किए गए हैं।

3.4 सहायक समूह :

इसके अन्तर्गत प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना के अतर्गत राज्य स्तरीय सलाहकार समन्वय समिति गठन किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में न केवल शिक्षा प्रणाली में बदलाव को मान्यता दी गई है बल्कि समाज के तौर तरीके और दृष्टिकोण में भी बदलाव को जरुरी माना गया है।

बालिकाओं की शिक्षा के लिए सामुदायिक मांग तैयार करने के प्रयास किये जा रहे हैं। माता-पिता और समुदाय को स्कूल से संबधित गतिबिधियों और स्कूल समितियों में नारियों और माताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सर्वशिक्षा अभियान द्वारा समेकित बाल विकास योजना के साथ आंगनबाड़ी कार्यकलापों, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षाकों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देकर संयुक्त रूप से स्कूल पूर्व समझदारी और समेकित बाल विकास योजना के बारे में जानकारी प्रदान करके स्कूल पूर्व शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है।

3.4.1 केन्द्रिय क्रियाकलाप :

भारत सरकार ने बालिका शिक्षा के लिए दो केन्द्रिय क्रियाकलाप-प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शुरु किए हैं।

प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम सितम्बर 2003 में शुरु किया गया। जहाँ वंचित बालिकाओं की शिक्षा के लिए अतिरिक्त प्रावधान तैयार किया जाता है। इस योजना में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के कम-से-कम 75 प्रतिशात प्रेवश आरक्षित हैं। वाकी 25 प्रतिशत सीटों के संदर्भ में गरीबी रेखा से नीसे बसर करने वाले परिवारों की बालकिाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

3.4.2 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना :

भारत सरकार ने सन् 2004 में उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं कि शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शूरुआत की थी। इसका उद्देश्य विशेष रुप से समाज के सबसे अधिक वंचित बालिकाओं को गुणवत्ता आधारित सिशा सुनिश्चित करना है। ये आवासीय स्कूल शैक्षिक रुप से पिछड़े ब्लाको में उच्च प्राथमिक स्तर पर ठहराव की सुविधाओं से लैस आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाती है। इस विद्यालय कायक्रम के लक्ष्य इस प्रकार है -

1) उन किशोरियों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना जो नियमित रुप से स्कूल जाने में असमर्थ है।

2) स्कूल से बाहर रहने वाली 10 वर्ष से अधिक की उन लड़कियों को सहायता पहुँचाना जो प्राथमिक स्कुल की शिक्षा पूरी नहीं कर पायी।

3) विभिन्न स्थानों पर बसी यायावर आबादी की उन बालिकाओ को स्कूल उपलब्ध कराना जो प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पायी।

इस तरह से सरकारी प्रयास के द्वारा लड़कियों की उपस्थिति ही नहीं, बल्कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के

साथ प्राथमिक शिक्षा पूरा करे जो नारी सशक्तिकण के दिशा में महत्वपूर्ण है।

4. सशक्तिकरण का रास्ता:

असल में परंपरा से पुरुषप्रधान समाज में नारियों के लिए वास्तविक अर्थो में समानता हासिल करना एक क्रमिक और धीमी प्रक्रिया है। आज भी समाज में एक बड़ा हिस्सा स्वयं को पुरुषों की तुलना में कमजोर और हीन मानता है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में तेजी लाने के लिए इस मानसिकता का बदलना बेहद जरुरी है। यह बदलाव तभी संभव है जब ज्वादा से ज्वादा नारियां आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर और राजनीतिक रुप से अधिकार संपन्न होगा।

पिछले दशकों में नारी रोजगार में वृद्धि के फलस्वरुप विकास को नई गति मिली है। माना जाता है कि अधिकाधिक नारियों के शिक्षित तथा रोजगार में लगने आबादी तथा गरीबी को समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। लेकिन नारी सशक्तिकरण आंदोलन की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत अपने पड़ोसी देशों से पीछे है। इस दिशा में अगर सक्रिय कदम नहीं उठाए गये, तो कानून बनानेवाली संस्था में औरतों को उनका उचित हक नहीं मिल पायेगा।

आज विश्व के हर कोने में हर क्षेत्र में पुरुषों के सात कदम से कदम मिलाकर अपनी अपनी अंतर्निहित क्षमता के बल पर साहस के साथ अपने अस्तित्व का एहसास दिलाने का सफल हुए है। हमारे देश में महिला सशक्तिकरण का नया दौर शुरु हुआ है। जैसे: त्रिस्तरीय पंचायत में महिलाओं की भागीदारी। 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन के द्वारा देश की ग्रामीण एवं नगरीय दोनों पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जहाँ 12 लाख से ज्वादा निर्वाचित महिलाओं को जन प्रतिनिधि के रुप में उत्तरदात्वि एवं अधिकार प्राप्त हुए हैं, दुनिया की कुल निर्वाचित महिलाओं से कहीं अधिक है। पंचायत स्तर पर महिलाओं को मिले आरक्षण ने उन्हें घर की चारदिवारो से ही नहीं निकाला बल्कि राजनीति में अपना दवदवा कायम किया। महिलाओं के बढ़ते कदमों के बजे से केन्द्र सरकार के योजनाएं भी गंवइ और कस्बाई इलाकों के स्त्रियों के ध्यान में रखकर बनाई जाने लगी है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की तरह 50 प्रतिशत कामगार समूह विशेष तौर पर महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गये है। इंदिरा आवास योजना में यह शर्त रखदी गई कि मकान या तो महिलाओं के नाम या पुरुष के साथ औरतों का नाम भी होगा।

पंचायत चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद राजनीति में उनके लिए, रास्ते खुल गये है। नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण से न केवल ''मिड ड मिल'', कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान. संपूर्ण ग्रामीण स्वच्छता मिशन, ग्रामीण स्वास्थ मिशन, रोजगार गांरढी योजना के कार्य में ही नहीं महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई है। आरक्षण की तलवार से ही औरतें ने अपने लिए जंग जीत ली है जहां से उनकी तरक्की की राह खुलती है।

हालाकि केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही महिलाओं का सम्पूर्ण सशक्तिकरण नहीं होगा इसके लिये महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक होगा। कारण आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भर से महिलायें अपनी समस्याओं का स्वत: ही समाधान करने में समर्थ होती है।

5. नारी का बदलता स्वरुप: समस्या एवं समाधान :

आज विश्व में सर्वत्र नारी आन्दोलन जोड़ पकड़ रहा है तथा इतना प्रखर हो गया है कि संयुक्त राष्ट्र नें

1975 से 1985 के दशक को ''नारी उन्मुक्ति दशक'' का नाम दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने नारी जागरण के लिए कई सम्मेलन का आयोजन किया हालाकि इन सम्मेलनों को अपने वांछनीय उद्देश्यों में कोई ठेस सफलता नहीं मिली तथापि इन्होने नारियों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना अवश्य जगाए है।

नारी मताधिकार की बात सर्वप्रथम J.S. Mill (1806-1873) ने की थी। इनका मानना था कि सम्पूर्ण समाज की प्रगति तभी संभव है जब पुरुषों के साथ-साथ नारियों को भी मताधिकार प्राप्त हो।

परिवार नियोजन योजनाओं का परिणाम यह हुआ कि बेटियों की संख्या लगातार घटती गई कारण हर परिवार में अनिवार्य रुप से पुत्रधिकारियों की ही जरुरत थी। पितृसत्ता के इस चक्र को तोड़ने के लिए स्त्रियो ने जितना विरोध-प्रतिरोध किया है, उन पर उतना ही अधिक दमन, हिंसा और अत्याचार बढता गया है। इस मामले में मेरा मानना है कि जब तक पितृ-सत्तात्मक पूँजीवादी समाज में सम्पत्रि में पुरुष का अधिनायकवादी वर्चस्व बना रहेगा, तब तक औरत की अस्तित्व और व्यक्तित्व, अधिकार तथा अभिव्यक्ति एवं समानता का हर संघर्ष अधूरा और सभी घोषणा पत्र बेमानी है।

आज समाज में स्त्रियों के विकास में कुछ मांगे जोर पकड़े हुए है। जैसे:

1) लिंगमुक्त सामान्य शिक्षा
2) आर्थिक क्षेत्रों में समान वेतन के साथ नौकरी पाने का समान सुअवसर
3) नवजात शिशुओं की कार्यरत माता ओं के लिए विशेष सुविधा
4) सुरक्षित मातृत्व, गर्भनिरोध जैसी दवाओं की उपलब्धि
5) नारियों के प्रति हिंसा एवं उत्पीड़न का अन्त
6) सिनेमा, कला एवं साहित्य में पुरुष एवं नारी का भव्य एवं सम्मानित चित्रण, आदि।

निष्कर्ष तथा सुझाव :

आज नारियों सर्वोत्कृष्ट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक पदों पर आसीन हो रही हैं तथा सभी क्षेत्रों में पुरुषों का दबदबा धीरे-धीरे कम हो रहा है। अत: यह स्पष्ट है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नारियों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। नारियाँ निजी क्षेत्रों में पुरुष को सहयोगी बनाकर सार्वजनिक कार्य निपुणता के साथ कर रही है। असल में पुरुष और नारी एक-दूसरे के पुरक है, और इसी भावना से एक परिवार की आधारशिला दृढ़ हो सकती है।

वास्तव में यदि महिलाओं के स्वरुप को वदलना है, या महिला सशक्तिकरण का मतलब उभारना है, तब प्रतिष्ठानों में महिलाओं की साझेदारी, नीति निर्माण में भागीदारी, पुरुषों के बराबर राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हिस्सेदारी आवश्यक है।

आज हमारे समाज में पुत्र के प्रति विशेष आशक्ति तथा महिलाओं की दया के पात्र समझने की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया जाए तो महिलाएँ घर, परिवार, गाँव, पंचायत, जिला,राज्य, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता एवं प्रतिभा की धाक जमा सकती है।

कृतज्ञता ज्ञापन :

प्रस्तुत् संगोष्ठी पत्र को प्रस्तुत करने में मेरे दोष्ट निरजंन वरा और डा॰ परिस्मिता बरदलै को धन्यवाद ज्ञापन करती हुँ। जिन्होंने समय समय पर पत्र को प्रस्तुत करने में उत्साहित तथा प्रेरित किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1) महिला सशक्तिकरण: डॉ॰ नजीर मुहम्मद
2) महिलाओं के मौलिक अधिकार: रतन लाल गौरा
3) औरतें और आवाजे: क्षमा शर्मा
4) नारी हृदय: आशापूर्णा देवी
5) महिला आरक्षण: मधु भरत झुनसुनवाला
6) भारतीय चित्रकला में नारी अंकन: डॉ॰ दिनेश चन्द्र गुप्त
7) अलग अलग Online माध्यम ❑

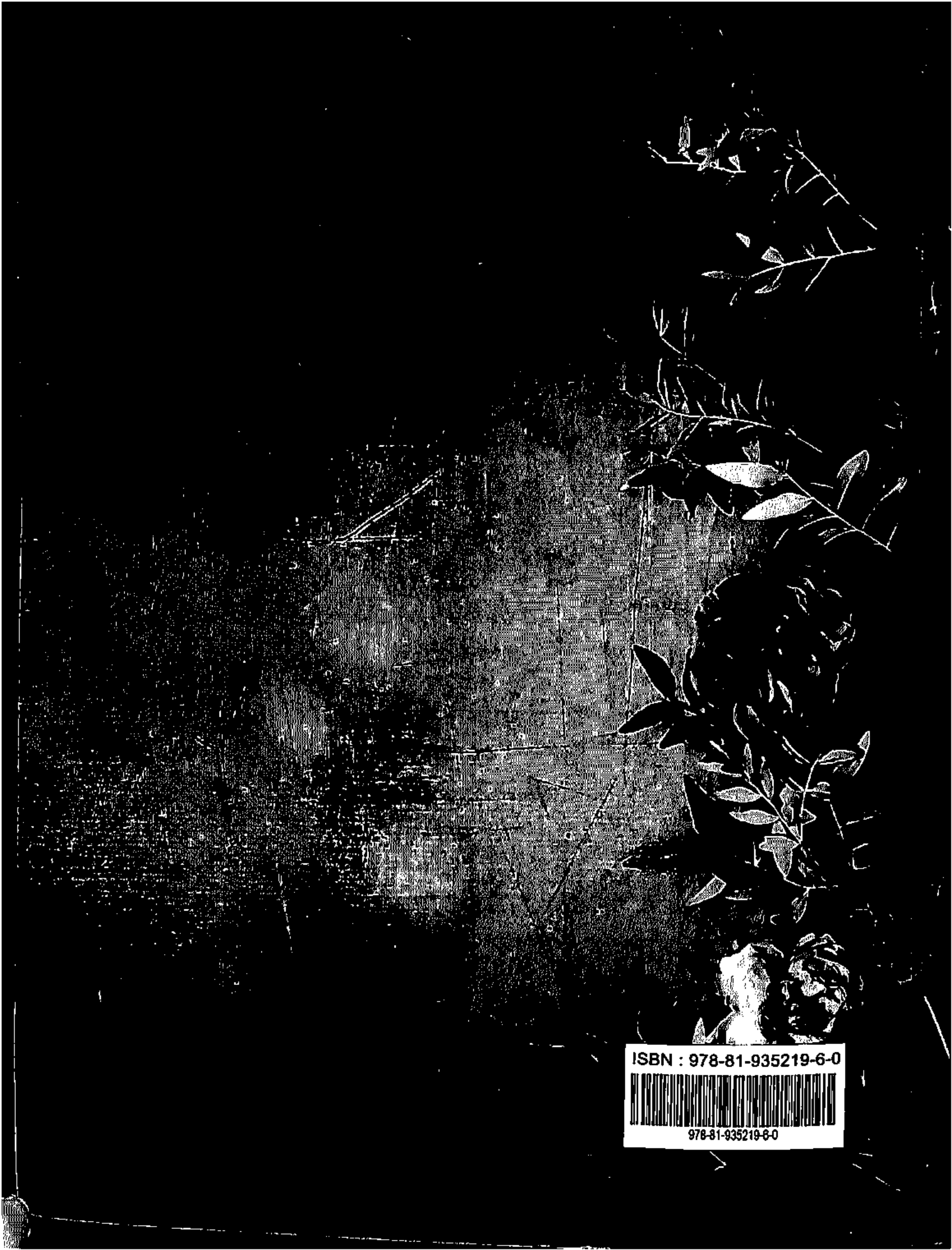

ISBN : 978-81-935219-6-0

978-81-935219-6-0